भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1899
मंगलवार, दिनांक 02 अगस्त, 2022 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>सोलर रूफटॉप योजना</u>

1899. श्री सतीश चंद्र दूबे: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने केंद्रीय सहायता से सोलर पैनल लगाने संबंधी योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रावधानों, लक्ष्यों और निर्धारित केंद्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है और इसकी अब तक की राज्य-वार उपलब्धियाँ क्या हैं;

(ग) क्या आम आदमी भी इस योजना का लाभ उठा सकता है और किस तरीके से लाभ उठाया जा सकता है; और

(घ) क्या इस योजना के तहत उत्पादित बिजली को खरीदने और बेचने का प्रावधान है, यदि हाँ, तो विशेष रूप से बिहार में अब तक कितने सोलर पैनल लगाए गए हैं?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने मार्च, 2019 में रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण-II शुरू किया था जिसमें अन्य प्रावधानों के साथ-साथ आवासीय क्षेत्र में केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के जरिए 4,000 मेगावाट रूफटॉप सौर (आरटीएस) क्षमता हासिल करने का प्रावधान है।

व्यक्तिगत परिवारों के लिए 3 किलोवाट क्षमता तक की आरटीएस परियोजनाओं के लिए बेंचमार्क लागत के 40% तक और 3 किलोवाट से अधिक एवं 10 किलोवाट तक की क्षमता की आरटीएस प्रणाली के लिए 20% तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है। समूह आवास सोसायटियों/आवासीय कल्याण समितियों (जीएचएस/आरडब्लूए) के लिए अधिकतम 500 किलोवाट क्षमता की साझा सुविधाओं को विद्युत की आपूर्ति के लिए आरटीएस संयंत्रों हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता 20% तक सीमित है।

इसके अतिरिक्त, बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) को पूर्व वर्ष के अंत में, बेसलाइन आरटीएस क्षमता के 10% से अधिक और 15% तक आरटीएस क्षमता वृद्धि के लिए वर्ष में बेंचमार्क लागत के 5% तक और पूर्व वर्ष के अंत में बेसलाइन आरटीएस क्षमता के 15% से अधिक आरटीएस क्षमता वृद्धि के लिए वर्ष में बेंचमार्क लागत के 10% तक प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

यह कार्यक्रम मांग आधारित है और कार्यक्रम के तहत क्षमता का कोई राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता है।

कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार, यह कार्यक्रम आरटीएस की स्थापना के लिए देश के सभी नागरिकों के लिए है।

इस प्रक्रिया को आम जन के लिए अधिक आसान बनाने के लिए, मंत्रालय ने रूफटॉप सौर कार्यक्रम के सरलीकरण की प्रक्रिया जारी की है। सरल प्रक्रिया के तहत, देश के किसी भी हिस्से के इच्छुक आवासीय उपभोक्ता रूफटॉप सौर के लिए नेशनल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। उपभोक्ता के पास डिस्कॉम के पास पंजीकृत किसी वेंडर का चयन करने और सौर उपकरण चुनने का विकल्प होगा। पूरे देश के लिए सब्सिडी एक समान निर्धारित है। डिस्कॉमों की भूमिका तकनीकी व्यवहार्यता अनुमोदन जारी करने, नेट-मीटर की स्थापना करने और प्रणाली का निरीक्षण करने तक सीमित होगी। प्रणाली की स्थापना और निरीक्षण के बाद सब्सिडी सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में जारी की जाएगी। आवेदन पंजीकरण से लेकर सब्सिडी जारी करने तक की पूरी प्रक्रिया की जानकारी पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है।

इस कार्यक्रम के तहत, रूफटॉप सौर संयंत्रों द्वारा उत्पादित सौर विद्युत की खरीद और बिक्री के प्रावधान को संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी विनियमों के अनुसार निर्धारित किया गया है।

दिनांक 30.06.2022 तक, इस कार्यक्रम के तहत, बिहार राज्य में आवासीय क्षेत्र में लगभग 2 मेगावाट क्षमता सहित कुल 1385.8 मेगावाट रूफटॉप सौर क्षमता हासिल की गई है। राज्य-वार ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए हैं।

अनुलग्नक

'सोलर रूफटॉप योजना' के संबंध में पूछे गए दिनांक 02.08.2022 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1899 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

दिनांक 30.06.2022 तक आवासीय क्षेत्र में रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण-II के तहत हासिल रूफटॉप सौर क्षमता

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवासीय क्षेत्र में स्थापित क्षमता (मेगावाट)
1	आंध्र प्रदेश	0.56
2	असम	0.20
3	बिहार	1.93
4	चंडीगढ़	18.05
5	छत्तीसगढ़	0.95
6	गोवा	1.96
7	गुजरात	1166.55
8	हरियाणा	23.21
9	हिमाचल प्रदेश	0.78
10	झारखंड	0.88
11	केरल	39.59
12	मध्यप्रदेश	18.44
13	महाराष्ट्र	2.29
14	मणिपुर	0.18
45	मिजोरम	0.19
16	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2.64
17	ओडिशा	0.00
18	पुडुचेरी	0.01
19	पंजाब	15.83
20	राजस्थान	36.49
21	तेलंगाना	21.44
22	उत्तराखंड	9.99
23	उत्तर प्रदेश	23.69
कुल		1385.82

*****